

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: ०३ अगस्त, 2023

विषय:- उ०प्र० राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 विषयक अधिसूचना
दिनांक-03.08.2023 एवं तत्सम्बन्धी शासनादेश दिनांक-03.08.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ०प्र० राजस्व संहिता अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उ०प्र० राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 विषयक अधिसूचना संख्या-16/2023/732/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक-03.08.2023 निर्गत की गयी है। इसी क्रम में शासनादेश संख्या-17/2023/733/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक-03.08.2023 भी निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उ०प्र० राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 विषयक अधिसूचना संख्या-16/2023/732/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक-03.08.2023 एवं शासनादेश संख्या-17/2023/733/एक-1-2023-1-1099/34/2023, दिनांक-03.08.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक-03.08.2023 एवं शासनादेश दिनांक-03.08.2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

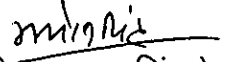
(सुधीर गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त उ०प्र० राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 को राजस्व परिषद की वेबसाइट तथा इण्डिया कोड पोर्टल पर अपलोड करायें।
- (3) चकबन्दी आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-16/2023/732/एक-1-2023-1-1099/34/2023
लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1- (1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 94 का संशोधन

- 2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 (जिसे "आगे उक्त" नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 94 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
94(1) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन- (क) दान अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु;	94(1) राज्य सरकार साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि के अर्जन के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन- (क) पूर्ण अथवा औद्योगिक उद्देश्य हेतु;

और (ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्थान या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और (ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो। (2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि को अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा:- (क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण); (ख) अर्जन की जाने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा; (ग) व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे भूमि अर्जन की जानी है; (घ) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि); (ङ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो; (च) अर्जन का प्रयोजन; (छ) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाय;	और (ख) रजिस्टर्ड समिति या कम्पनी या अन्य निगम या शैक्षणिक संस्था या पूर्त संस्थान के पक्ष में; और (ग) उसकी राय में सार्वजनिक हित में हो। (2) यदि किसी विशेष प्रकरण में, कोई व्यक्ति धारा 89 (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक भूमि अर्जित करना चाहता है, तो वह राजस्व विभाग में सचिव, राज्य सरकार को निम्नलिखित विशिष्टताओं को विनिर्दिष्ट करते हुये आवेदन प्रस्तुत करेगा:- (क) आवेदक का नाम एवं पता (यदि आवेदक विधिक व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा/विवरण); (ख) अर्जित किये जाने हेतु वांछित सम्पत्ति का ब्यौरा; (ग) अर्जन की रीति (विक्रय, दान आदि); (घ) विक्रय प्रतिफल, यदि कोई हो; (ङ) अर्जन का प्रयोजन; (च) कोई अन्य सूचना, जो सुसंगत समझी जाय;
(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि वह इस राय का हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं, तो वह अपेक्षित अनुमति शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।	(3) उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने पर राज्य सरकार जांच कर सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि धारा 89(3) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूर्ण हैं तो वह अपेक्षित अनुमति, शर्तों या प्रतिबंधों के साथ अथवा उसके बिना दे सकती है।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अन्तर्गत अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजेगी।

(4) यदि राज्य सरकार धारा 89(3) के अधीन अनुमति देती है तो उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी।

परिशिष्ट-1 का संशोधन-

उक्त नियमावली में परिशिष्ट-1, में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी विद्यमान प्रविष्टि 13 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दी गयी प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-1					स्तम्भ-2				
विद्यमान प्रविष्टि					एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि				
क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क	क्रम संख्या	धारा	वाद की प्रकृति आवेदन और कार्यवाही	सीमा अवधि	उपयुक्त न्यायालय शुल्क
13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	संहिता के नियम 85(2) के उपबन्धों के अनुसार	13	80(1)	उद्घोषणा के लिए आवेदन	शून्य	(उद्घोषणा रद्द करने के लिए आवेदन के संबंध में) क्रम संख्या 14 के समक्ष उचित न्यायालय शुल्क के रूप में उल्लिखित धनराशि

आज्ञा से,



(सुधीर गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan

Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2023/732/Ek-1-2023-1-1099/34/2023 dated 03 August, 2023.

NOTIFICATION

No. 16/2023/732/Ek-1-2023-1-1099/34/2023

Lucknow; Dated: 03 August, 2023

In exercise of the powers under section 233 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016:

THE UTTAR PRADESH REVENUE CODE (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2023

- Short title and commencement 1. (1) These rules may be called Uttar Pradesh Revenue Code (Fifth Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.
- Amendment of rule 94 2. In the Uttar Pradesh Revenue Code Rules, 2016 (hereinafter referred to as the "said rules"), for the existing rule 94 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:

Column-1 (Existing rule)	Column-2 (Rule as hereby substituted)
94. (1) The State Government may be a general or special order, authorise any person to acquire land in excess	94. (1) The State Government may, by a general or special order, authorize any person to acquire land in excess

of the limits specified in section 89(2), if such acquisition is- (a) for a charitable or industrial purpose; and (b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and (c) in its opinion in public interest. (2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:- (a) Name and address of the applicant. (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person); (b) The details of the property sought to be acquired; (c) The name and address of the person from whom the land is sought to be acquired; (d) The mode of acquisition (sale, gift <i>etc.</i>); (e) Sale consideration, if any; (f) Purpose of acquisition; (g) Any other information which may be considered relevant.	of the limits specified in section 89(2), if such acquisition is- (a) for a charitable or industrial purpose; and (b) in favour of a registered society or a company or other corporation or an educational institution or a charitable institution; and (c) in its opinion, in public interest. (2) If in any special case, any person wants to acquire land in excess of the limit specified in section 89(2), then he shall submit an application to the Secretary to the State Government, in the Revenue Department, specifying therein the following particulars:- (a) Name and address of the applicant (if the applicant is a juristic person, the detailed particulars of such person); (b) The details of the property sought to be acquired; (c) The mode of acquisition (sale, gift <i>etc.</i>); (d) Sale consideration, if any; (e) Purpose of acquisition; (f) Any other information which may be considered relevant.
(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State	(3) On receipt of the application under sub-rule (2), the State

Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.	Government may make an inquiry, and if it is of opinion that the conditions specified in section 89(3) are fulfilled, it may grant the requisite permission with or without any conditions or restrictions.
(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy thereof shall be sent to the Collector of the district concerned.	(4) If the State Government grants the permission under section 89(3), a copy thereof shall be sent to the Collector of the district concerned.

Amendment of Appendix-I

3. In the said rules, in Appendix-I for the existing entry 13 set out in Column-1 below, the entry as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing entry					Column-2 Entry as hereby substituted				
Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee	Sl. No.	Section	Nature of suit, application and proceedings	Period of limitation	Proper Court Fee
13	80(1)	Application for declaration	Nil	As per the provisions of rule 85(2) of the Code	13	80(1)	Application for declaration	Nil	Amount mentioned as proper Court fee against serial number 14 (regarding 'Application for cancellation of declaration')

By order,


(Sudhir Garg)

Additional Chief Secretary.